an>

Title: Need to improve the capacity of jails and living conditions of prisoners in the country.

श्री शरद त्रिपाठी **(**संत कबीर नगर**):** भारत की सभी जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। कैदियों की भारी भीड़ के कारण जेल पूशासन कैदियों को मानवीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इसी कारण से कैदी जेलों में अमानवीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। कैदी जीवन का एक पहलू जेलों में भारी भीड़ का होना जिस ओर सरकार एवं न्यायपालिका को ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। जेलों में अत्यधिक भीड़ के कारण समुचित भोजन की व्यवस्था न होना एवं स्वास्थ्य के अनुकूल वातावरण उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न बीमारियों से कैदी ग्रसित हो जाते हैं और चिकित्सा सुविधा के अभाव में काल-कवलित हो जाते हैं। जेल पूशासन आज भी अंग्रेजी राज के निर्मम एवं अतयाचारी तंतू की भाँति काम कर रहा है।

अतः केन्दू सरकार से मेरा आगूह है कि क्या सरकार जिसके पास हिरासत में पड़े लोगों को जीने की आधारभूत सुविधाएँ मुहैया करने की कूव्वत नहीं है , किसी विचाराधीन अथवा सजायाफ्ता कैदी को मर जाने के लिए जेल में रखे रहने का अधिकार रखती है ? क्या सरकार ऐसी कोई नीति बनाएगी जिससे कैदियों के मानवाधिकार का हनन न हो और उन्हें शीघ्र न्याय मिल सके।